रेस्टो/2899/III/15

न्यायालय :— माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2015 रेस्टो.

1. गुलाब सिंह
2. वीर सिंह
3. सुल्तान सिंह
4. राय सिंह
5. पंजाब सिंह

} पुत्रगण मेहरबान सिंह रावत

निवसीगण ग्राम धमधोली तह. नरवर जिला शिवपुरी म.प्र.

——आवेदकगण

बनाम

1. लक्ष्मण सिंह
2. अर्जुन सिंह

} पुत्रगण रघुनाथ सिंह रावत

3. भागीरथ पुत्र बैजनाथ सिंह रावत

——— अनावेदकगण

<u>संहिता की धारा 35(3) के अधीन आवेदन पत्र वास्ते मूल प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिये जाने बावत</u>

मान्यवर,

आवेदकगण की ओर से आवेदन पत्र निम्न प्रकार पेश है :—

1. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष एक निगरानी प्रस्तुत की है। उक्त निगरानी में प्र.क. 3159/।।।/2014 में पेशी दिनांक 27.03.2015 में नियत थी। आवेदक के अभिभाषक ग्वालियर से बाहर गये थे। जिसके लिये सहयोगी अभिभाषक श्री डी.एस चौहान को दूरभाष पर अवगत कराया कि मेरे प्रकरण श्रीमान के न्यायालय में नियत है। उन्हें अवगत करा देना कि नियत पेशी पर उपस्थित नहीं हो सकूंगा। फिर भी माननीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण को अभिभाषक की अनुपस्थिती मानकर संहिता की धारा 35(2) अदम पैरवी में निरस्त कर दिया गया है।

2. यह कि, प्रकरण को अनुपस्थिती के कारण अदम पैरवी में निरस्त कर दिया गया है। परन्तु अभिभाषक की त्रुटि नहीं मान सकते हैं क्योंकि, प्रकरण में आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्वालियर से बाहर अचानक जाना पड़ा जिसकी सूचना माननीय न्यायालय को अपने साथी अभिभषक श्री डी.एस. चौहान के माध्यम से भिजवा दी गई है। फिर भी मान. न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण को अभिभाषक की अनुपस्थित के कारण निरस्त करने में महान वैधानिक भूल की है। इसकी सूचना आवेदक को नही दी गई इस कारण उक्त आवदेन पत्र समय सीमा में होने से मूल प्रकरण पुन नं. पर लिया जाना न्योचित होगा।

रेफरी 2899 सम/15 [illegible]

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
15-9-15	आवेदक अधिवक्ता श्री [illegible] उपस्थित 3501 [illegible] आवेदन पर [illegible] प्रकरण [illegible] । [signature]	
5-10-15	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक आवेदन के तथ्यों पर विचार किया । अनुपस्थिति का कारण पर्याप्त [illegible] होने से मूल प्रकरण क्र 3159 सम/14 पुनः स्थापित किया जाता है। [illegible] आवेदन स्वीकार किया जाता है। प्रकरण दाखिल दफ्तर हो। [signature]	

शाक्षेमुग्वा—766—फॉर्म्स—23-3-13—10,000 प्रपत्र.